

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 508/2025**

IN THE MATTER OF:

PURAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE BY R-8, SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE, MATHURA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 12.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	COPIES OF REVENUE RECORDS OF KHASRA NOS. 632 (२) AND 637 (२), ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-1.	
3.	A COPY OF ORDER DATED 09.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2.	

4.	A COPY OF LETTER DATED 13.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
----	---	--

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:Bpsjadon@gmail.com)

PHONE NO.-7838248353

Date: 15.04.2026

Place: Noida

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 508/2025



IN THE MATTER OF:


PURAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(S)



RESPONSE BY R-8, SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE,
MATHURA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER
DATED 12.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL



I, Shlok kumar aged about 38 years, S/o Shri Sudhir kumar Rakesh, posted as S.S.P., Mathura, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.
2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

ASHOK KUMAR
Advocate Notary
Distt. Court, MATHURA

BACKGROUND OF THE MATTER

3. In the present Original Application, the applicant has alleged that Khasra Nos. 632 (ख) and 637 (ख), situated in Village Jatipura, Tehsil Govardhan, District Mathura, are Reserved Forest Land. It is further alleged that the said Khasra numbers have been encroached upon by certain private persons, who have carried out illegal construction in the form of a permanent boundary wall. The applicant has also alleged that, while constructing the said boundary wall, trees of *Peelu* variety standing on the said land have been illegally felled.



RESPONSE IS AS FOLLOWS

I. NATURE OF THE SITE IN QUESTION AS PER THE REVENUE RECORDS

4. That it is submitted that the sites in question in the present matter are Khasra Nos. 632 (ख) and 637 (ख), admeasuring 0.052 hectares and 0.073 hectares respectively are recorded as land belonging to the Forest Department in the revenue records, however the same have not been notified as Reserve Forest under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927.

Copies of revenue records of Khasra Nos. 632 (ख) and 637 (ख), are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-1*.

ASHOK KUMAR
Advocate Notary
Dist. Court, MATHURA

II. LEGAL ACTION INITIATED AGAINST THE ENCROACHERS BY THE FOREST DEPARTMENT

5. That, it is submitted that the Forest Department has filed an Eviction Suit No. 1797/2026 under Sections 4, 5, 6 and 7 of the U.P. Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 before the learned S.D.M.,

Govardhan for eviction of unauthorized occupants from the land in question and for removal/demolition of the illegal boundary wall construction raised thereon.

6. That, while disposing the aforementioned suit, learned S.D.M., Govardhan vide order dated 09.04.2026 has directed as follows:

“...अतः विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर, गोवर्धन को मौजा जतीपुरा के खसरा सं० 632 ख रकवा 0.0520 हे० व खसरा सं० 637 ख रकवा 0.0730 हे० के आंशिक भाग पर किये गये नई दीवार पक्की पश्चिम दिशा की ओर को अनाधिकृत संख्यासन से बेदखल किया जाता है एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 100 रु० प्रतिदिन के हिसाब से वन क्षेत्रीय अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक रूप से बेदखल करने के दिनांक तक आरोपित किया जाता है। तदनुसार हर्जाना वसूली एवं बेदखली कार्यवाही हेतु प्रपत्र ख जारी किया जाए। इस आदेश की दो प्रतियाँ मय प्रपत्र ख तहसीलदार गोवर्धन को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति विपक्षी पर नियमानुसार विधिवत तामील कराये तथा दूसरी प्रति विवादित स्थल पर चस्था कराये तथा बाद तामील एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।...”

A copy of order dated 09.04.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-2*.

7. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent, vide letter no. Legal-Department-Memo (100/2026) dated 13.04.2026, has informed the Divisional Forest Officer, Mathura, that police force shall be provided, if required, for removal of encroachment and demolition of the illegal boundary wall in the present matter, and has further directed the concerned Police Officials to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit.



ASHOK KUMAR
Advocate Notary
Distt. Court, MATHURA

A copy of letter dated 13.04.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-3*.

8. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.



That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

ASHOK KUMAR
Advocate Notary
Distt. Court, MATHURA

VERIFICATION

Verified at Mathura on this 15th day of April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

The Contents of the Affidavit Documents read over and Explained to Shri Shlok Kumar who is identified by Shri S-4 and on Oath Attested Day on 15-04-26 At my office and noted Down in Notary Registered No. 1656 Fees Rs. 25/-

ASHOK KUMAR Advocate
Notary Public,
Distt. Court, Mathura



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

13/October/2025 02:55:29 PM

जनपद : मथुरा

ग्राम कोड : 124226

तहसील : गोवर्धन

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30

जून, 2024)

ग्राम : जतीपुरा

खाता संख्या : 00369

श्रेणी : 5-3-क/कृषि योग्य बंजर - इमारती तकड़ी केवन।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
632ख	1) वनविभाग / --- / ---		1401फ.	632ख (1242260632200253)	0.0520	1) 1/1	1) 0.0520	0.00

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य पांच दो शून्य (हेक्टयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य पांच दो शून्य (हेक्टयर)
------------------	--	--	---

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिति (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनिक कोड
	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिति (अवयस्क हेतु)
	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनिक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

Hindi



← Back



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

तहसील : गोवर्धन

ग्राम : जतीपुरा

जनपद : मथुरा
ग्राम कोड : 124226

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30
जून, 2024) खाता संख्या : 00369

श्रेणी : 5-3-क/कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
637ख	1) वनविभाग / --- / ---		1401फ.	637ख (1242260637200253)	0.0730	1) 1/1	1) 0.0730	0.00

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति
(भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /
विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण
वही) हेतु खसरा संख्या पर
दिकलक करें।

0.0730

कुल गाटे : शून्य (हेक्टियर)	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य सात तीन	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य सात तीन शून्य (हेक्टियर)
--------------------------------	---	---	---

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदानाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनिक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनिक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, गोवर्धन
मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : गोवर्धन
वाद संख्या :- 1797/2026

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202601500601797

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास
अंतर्गत धारा :- 4, अधिनियम :- 30 प्रो लोक परिसर (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972

आदेश

मौजा-जतीपुरा

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा की रिपोर्ट दिनांकित 02-08-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुई। क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 02-08-2025 में उल्लेख किया है कि मौजा जतीपुरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा के अन्तर्गत विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्धौर गोवर्धन (हाल निवासी गाटा संख्या-632ख व 637ख मौजा जतीपुरा, गोवर्धन व अन्य नाम पता अज्ञात हाल निवासी गाटा संख्या 632ख व 637ख मौजा जतीपुरा गोवर्धन के विरुद्ध यू0पी0पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन ऑफ अन ओथेराईज्ड ओक्क्यूपेन्ट्स एक्ट 1972) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करके वन विभाग के नाम दर्ज उक्त सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति जिसको संलग्न नजरी नक्शा जिसे अ,ब,स व द से दर्शाया गया है, पर विपक्षीगण या जो भी अनाधिकृत कब्जे में पाया जाये को अवैध कब्जे से बेदखल करने एवं उक्त सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के वास्तविक हकदार उत्तर प्रदेश वन विभाग को कब्जा दिलाये जाने के समुचित आदेश पारित कर प्रार्थी को वास्तविक आधिपत्य दिलाया जाये। वर्तमान मे राजस्व अभिलेखों मे गाटा संख्या 632ख रकवा 0.0520हे0 व 637ख रकवा 0.0730हे0 पर वन विभाग दर्ज है। वन विभाग सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जिस पर किसी व्यक्ति, उसके स्वरूप मे परिवर्तित करने का, उसका भराव करने तथा उसमें भवन निर्माण करने का अधिकार नहीं है। उक्त में संलग्न सूची के अनुसार चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी बगोविन्द कुण्ड आन्धौर ने इस सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अवैध रूप से नई दीवार/बाउन्ड्रीवाल बनाई गई है। जिसका नजरी नक्शा तथा अवैध कब्जे की भूमि की चौहद्दी अंकित करते हुए बेदखल किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

उक्त आख्या के आधार पर दिनांक 24-02-2026 को न्यायालय मे वाद दर्ज कर विपक्षी को नियमानुसार पक्ष संख्या जारी की गयी जिसकी तामील विपक्षी पर होने



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, गोवर्धन
मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : गोवर्धन
वाद संख्या :- 1797/2026

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202601500601797

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास
अंतर्गत धारा:- 4, अधिनियम :- उ० प्र० लोक परिसर (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972

-2-

के उपरान्त नियत दिनांक पर प्रतिवादी बावजूद सूचना व समुचित अवसर देने के उपरान्त भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। वन विभाग की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आज तक उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06-04-2026 को विपक्षी के साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर समाप्त करने के उपरान्त भी विपक्षी को दिनांक 07-04-2026 की तिथि सुनवाई हेतु दी गई, किन्तु विपक्षी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। वादी के विद्वान अधिवक्ता हाजिर आये। मौखिक बहस की गई। मौके के नक्शा, फोटोग्राफ व खतौनी दाखिल की गई जो संचित पत्रावली है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के विस्तृत बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अभिलेखों एवं तहसीलदार गोवर्धन की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है, कि मौजा जतीपुरा के खसरा सं० 632ख रकवा 0.0520हे० व खसरा सं० 637ख रकवा 0.0730हे० पर श्रेणी 5-3क वन विभाग के रूप में दर्ज कागजात है जिस पर विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर, गोवर्धन द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान के आंशिक भाग में पश्चिम भाग पर नई दीवार बनाकर पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और समुचित अवसर देने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा विवादित सार्वजनिक सम्पत्ति खसरा सं० 632ख रकवा 0.0520हे० व खसरा सं० 637ख रकवा 0.0730हे० के आंशिक भाग पर नई दीवार का निर्माण कर सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जे से बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर, गोवर्धन को मौजा जतीपुरा के खसरा सं० 632ख रकवा 0.0520हे० व खसरा सं० 637ख रकवा 0.0730हे० के आंशिक भाग पर किये गये नई दीवार पक्की पश्चिम दिशा की ओर को अनाधिकृत अध्यासन से बेदखल किया जाता है एवं क्षतिपूर्ति के



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, गोवर्धन
मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : गोवर्धन
वाद संख्या :- 1797/2026


कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202601500601797

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास
अंतर्गत धारा :- 4, अधिनियम :- 30 प्रो लोक परिसर (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972

-3-

रूप में 100 रु० प्रतिदिन के हिसाब से वन क्षेत्रीय अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक रूप से बेदखल करने के दिनांक तक आरोपित किया जाता है। तदनुसार हर्जाना वसूली एवं बेदखली कार्यवाही हेतु प्रपत्र ख जारी किया जाए। इस आदेश की दो प्रतियाँ मय प्रपत्र ख तहसीलदार गोवर्धन को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति विपक्षी पर नियमानुसार विधिवत तामील करायेँ तथा दूसरी प्रति विवादित स्थल पर चस्पा करायेँ तथा बाद तामील एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जावेँ। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 09/04/2026


(प्रजावती त्रिपाठी),
उपजिलाधिकारी, गोवर्धन
मथुरा।

पृष्ठ संख्या :

सेवा मे,

वन प्रभागीय अधिकारी

जनपद मथुरा ।

विषय:- खसरा नंबर 632ख एवं 637ख मे अवैध दीवार को हटाये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे:-

विषयाकित प्रकरण के सम्बन्ध मे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित वाद संख्या 508/2025 पून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये जाते है । तो अवैध निर्मित दीवार को ध्वस्त कराये जाने हेतु डिवीजनल फोरेस्ट आफिसर मथुरा (वन प्रभागीय अधिकारी) एवं रेंज फोरेस्ट आफिसर (वन परिक्षेत्र अधिकारी) को माँगे जाने पर नियमानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा ।


पत्र संख्या:-विधि प्रकोष्ठ मीमो(100/2026)

दिनांक:-13.04.2026

प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी मथुरा को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

2. क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जनपद मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन को ससमय अनुपालन करने हेतु ।


14/04
विधि प्रकोष्ठ अधिकारी
जनपद मथुरा
जनपद मथुरा